



नेमी आदेश सं० 05 / 37-जी-11 दिनांक 16 .04.2026

1. वेतन उन्नयन (Upgradation) :-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग), नई दिल्ली के पत्र सं० एम०एस०/04/13/2015 दिनांक 01.05.2020 जो भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्र सं० J-3859/2158-7th CPC दिनांक 12.05.2020 से पृष्ठांकित है के स्पष्टीकरण "3" के अनुसार निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) अधिकारी सर्वेक्षकों को अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल 08 में लगातार 4 वर्षों की सेवा पूरी करने पर पे मैट्रिक्स लेवल 09 में उनके नाम के सामने दर्शायी गये विवरणानुसार वेतन उच्चिकरण (Upgradation) का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रमांक	नाम व पदनाम सर्वश्री	वर्तमान पद पर वेतन लेवल	वर्तमान पद पर लगातार सेवा की तिथि	वर्तमान पद पर लगातार 4 वर्ष की सेवा पूरी करने पर लेवल-09 की स्वीकृति की तिथि	उच्चिकृत वेतन लेवल
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	अनिल कुमार सुन्दरियाल अधिकारी सर्वेक्षक	लेवल-08	30.03.2022	30.03.2026	लेवल-09
2.	शैलेन्द्र कुमार रावत अधिकारी सर्वेक्षक	लेवल-08	30.03.2022	30.03.2026	लेवल-09

प्राधिकार: (i) भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं० J-3859/2158-7th CPC dated 12.05.2020
(ii) भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं० C-1770/1902-NFU(OS) dated 26.05.2020
(iii) भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं० C-1975/1902-NFU(OS) dated 08.06.2020

- (i) उपरोक्त अधिकारियों के विजिलेंस-क्लीयरेंस भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० विज-117/1009-विजी क्लियरेंस (संग्रह-96) (30649) दिनांक 13.03.2026 के अनुसार सही पाये गये हैं तथा इनके विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है और न ही अधिकारियों को पिछले 10 वर्षों में कोई दण्ड दिया गया है।
- (ii) उपरोक्त अधिकारियों को नए वेतनमान में अपना वेतन का निर्धारण के लिए विकल्प (Option) वेतन नियम एफ०आर० 22(I)(A)(1) के अन्तर्गत एक माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) उपरोक्त अधिकारियों के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ :-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी0डी0एन0 दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19.05.2009 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2015 स्था. (डी) दिनांक 22.10.2019 तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र संख्या एस.एम./02/02/2021 दिनांक 25.08.2021 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारी (डिविजन-I (डिव.- II से पदोन्नत)) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से **वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8** में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत **तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ** स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	पद	तृतीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1.	श्री राज बहादुर बस्नैत	सर्वेयर (अब अधिकारी सर्वेक्षक)	01.01.2025
प्राधिकार :-भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं. सी.पी.-388/1902-एम.ए.सी.पी. (जनरल)दिनांक 01.04.2026			
2.	श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (Retd.)	01.01.2026
प्राधिकार :-भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं. सी.पी.-393/1902-एम.ए.सी.पी. (जनरल)दिनांक 01.04.2026			

- (i) उपरोक्त कर्मचारी को नए वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के लिए एफ0आर0 22(I)(A)(1) के अधीन एक माह के भीतर विकल्प देना होगा ।
- (ii) उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

3. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ :-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी0डी0एन0 दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19.05.2009 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 35043/3/2015 स्था. (डी) दिनांक 22.10.2019 तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र संख्या एस.एम./02/02/2021 दिनांक 25.08.2021 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारी (डिविजन-I (डिव.- II से पदोन्नत)) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	पद	द्वितीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1.	श्री मनोज कुमार चौधरी	मनचित्रकार डिव-I	01.01.2026
प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं. सी.पी.-375/1902-एम.ए.सी.पी. (जनरल) दिनांक 01.04.2026			
2.	श्री राकेश नेगी	मनचित्रकार डिव-I	01.01.2026
प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं. सी.पी.-377/1902-एम.ए.सी.पी. (जनरल) दिनांक 01.04.2026			
3.	श्री लक्ष्मण सिंह नेगी	मनचित्रकार डिव-I	01.01.2026
प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं. सी.पी.-372/1902-एम.ए.सी.पी. (जनरल) दिनांक 01.04.2026			
4.	श्री संतोख सिंह अरोड़ा	मनचित्रकार डिव-I	01.01.2026
प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं. सी.पी.-373/1902-एम.ए.सी.पी. (जनरल) दिनांक 01.04.2026			

- (i) उपरोक्त कर्मचारी को नए वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के लिए एफ0आर0 22(I)(A)(1) के अधीन एक माह के भीतर विकल्प देना होगा ।
- (ii) उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा ।

4. नकदी संभालने का भत्ता :-

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र सं. स 14/3/78-एस.एम.पी.1 दिनांक 28.03.1978 और भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली (प-2) के कार्यालय ज्ञापन सं0 4/6/2017-स्थापना (वेतन) दिनांक 18-1-19 के अनुसार निम्नलिखित लिपिक संवर्ग के कर्मचारी को रोकड़ संभालने की सेवाएँ करने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दर एवं अवधि के लिए विशेष वेतन की संस्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम व पदनाम	अवधि		भत्ते की दर प्रतिमाह	टिप्पणी
		कब से	कब तक		
1	श्री सुमित कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	13-12-2025	से 19-12-2025	रु. 875/-	नियमित रोकड़िये के अवकाश पर जाने के कारण

इस पर होने वाला अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2026-27 के स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा और समुचित लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा ।

5. सरकारी सेवा में निरन्तर बने रहना :-

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पत्र सं. 23-28/89-सर-1 दिनांक 10.05.1973 जो कि भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं. आर-18247/1442 दिनांक 21.05.1973 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ, के अन्तर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों के आधार पर इस कार्यालय के निम्नलिखित अस्थाई कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणानुसार आगामी एक वर्ष के लिये या जब तक कि उनकी सेवाओं की वास्तविक रूप से आवश्यकता हो, सरकारी सेवा में निरन्तर बने रहना स्वीकार किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी	पदनाम	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि	पे मैट्रिक्स वेतन लेवल	सरकारी सेवा में निरन्तरता की अवधि
1.	कु. लता	प्रवर श्रेणी लिपिक	10.07.2023	लेवल-4	01.03.2026 से 28.02.2027 तक
2.	स्वर्णिम रंजन श्रीवास्तव	प्रवर श्रेणी लिपिक	13.05.2025	लेवल-4	01.03.2026 से 28.02.2027 तक
3.	सुमित कुमार	अवर श्रेणी लिपिक	24.06.2024	लेवल-2	01.03.2026 से 28.02.2027 तक
4.	श्री दिव्या राज	एम.टी.एस. कैटेगरी-V	11.07.2023	लेवल-1	01.03.2026 से 28.02.2027 तक
5.	श्री राज कुमार	एम.टी.एस. कैटेगरी-V	09.11.2023	लेवल-1	01.03.2026 से 28.02.2027 तक

6. पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन :-

इस कार्यालय के श्री प्रमोद कुमार आर्या, को उनके प्रवर श्रेणी लिपिक के मूल पद पर सेवा बहाली के उपरान्त इनका चरित्र एवं पूर्ववृत्त का पुनः सत्यापन जिला अधिकारी, देहरादून से करवाया गया। जिला अधिकारी देहरादून के जांच पत्र संख्या 81/26 दिनांक 19.02.2026 के अनुसार इनके विरुद्ध स्थानीय अधिसूचना अभिलेखों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित होना नहीं पायी गयी है।

तुषार वैश्य
16/4/26.

(तुषार वैश्य)

अधीक्षण सर्वेक्षक(एन.एफ.एस.जी.)

निदेशक

राष्ट्रीय भू-स्थानिक डेटा रजिस्ट्री एवं
एकीकृत भू-स्थानिक इंटरफेस निदेशालय

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक, ज्योडीय रिफरेंस फ्रेम तथा भू-स्थानिक आंकडा विनिमय डिविजन, देहरादून को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ (ई-मेल द्वारा) प्रेषित।
4. कार्यालय अधीक्षक (लेखा एवं प्रशासन)।
5. गार्ड फाईल।
6. प्रभारी वेबसाइट मैनेजमेंट सिस्टम, महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु (ई-मेल द्वारा) प्रेषित।